# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–120/2018–19

| आदेश की तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|---|---|---|
| 07.02.2019 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुवा से जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नही दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्राभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 901 दिनों के अंदर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है।<br><br>7.2.19<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। | |
| 05.04.2019 | अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार बेहरा द्वारा दिनांक 05.04.2019 को आवेदन पत्र दिया गया है कि अंचल अधिकारी, सोनुवा द्वारा TA Misc Case No.-120/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु सहमत हैं। अधिवक्ता द्वारा उक्त अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अंतरण हेतु अनुरोध किया गया है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अंतरण हेतु **स्वीकृति** दी जाती है।<br><br>**आदेश**<br><br>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** के पत्रांक– 130, दिनांक–28.03.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.04.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्रीमति नागुरी कोड़ाह**, पिता/पति– **स्व0 बीरसिंह कोड़ाह**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बनजीरा**, पो0+थाना– **सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्राभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा– **बनजीरा**, थाना– **सोनुवा**, थाना नं०– **146**, खाता नं०– **111**, प्लॉट नं0– **130, 131**, **रकवा क्रमशः– 0.12 ए0, 0.06 ए0**, **कुल रकवा– 0.18 ए0**, क्रेता **श्रीमति जयश्री पुरती**, पिता/पति– **तुराम पुरती**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **गोलमुंडा**, पो0+थाना– **सोनुवा**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।<br>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्रीमति नागुरी कोड़ाह**, पिता/पति– **स्व0 बीरसिंह कोड़ाह**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बनजीरा**, पो0+थाना– **सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **सोनुवा**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **हो (अ.ज.जा.)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **सोनुवा** अंचल अंतर्गत **रकवा 3.59 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **सोनुवा** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **श्रीमति नागुरी कोड़ाह**, पिता/पति– **स्व0 बीरसिंह कोड़ाह**, जाति– **हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम– **बनजीरा**, पो0+थाना– **सोनुवा**, जिला **प० सिंहभूम**, राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक हो उसका निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है।<br>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।<br>लेखापित<br><br>5.4.19<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता | |